अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

202 100133

नैनू बनाम कमरू

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शाहबुद्दिन खान श्री	

नैनू बनाम कमरू वगैरह

24.8.20

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट की दिनांक 14.08.2020को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया तथा साथ ही वाद पत्र के कथनो के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी वाकै ग्राम सेन्दरिया तहसील अजमेर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व पूर्वजों की कृषि भूमि रही है। जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज है तथा शांतिपूर्ण तरीके से कृषि कार्य कर रहे है। जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 429 की जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज हरजी, देवा,भोला पि0 नूरा, मु. अपशान बेवा नूरा, सम्मा उर्फ शम्भु, सुवा पिता कालू, कालू, गोकल पि0 जुवारा हिस्सा 1/2 अंकन दर्ज के अनुसार प्रार्थीगण अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। हरजी की मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 08.06.2017 प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर खातेदार चले आ रहे है एवं पूर्व साबिक खसरा नम्बर का भी प्रार्थीगण के पूर्वज/पिता खातेदार राजस्व रेकार्ड में जमाबंदियों में दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 429 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है, किन्तु उसके पश्चात नवीन जमाबंदी वर्ष 2019 जमाबंदी में सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01से 05 के नाम अंकन कर दिया। उक्त गलत अंकन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01से 04 व अप्रार्थी सख्या 05 विवादित भूमि को रहन, बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है, जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट को सुना गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.07.2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 10.08. 2020 नियत की गई। दिनांक 10.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 01से 04 की ओर से अभिभाषक ने वकालतानामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र जवाब हेतु समय चाहने पर आगामी पेशी दिनांक 13.08.2020 नियत की गई, दिनांक 13.08. 2020 को अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के बावजूद भी प्रकरण को समझने का प्रयास नहीं किया तथा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा पर कोई आदेश पारित नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौन रह कर अप्रार्थीगण को विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने की खुली अनुमति दे दी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2020 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी हक व हिस्सा की भूमि की सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों ने बिना कानूनी प्रावधान के विपरीत जाकर गलत रूप से पूर्व राजस्व रिकार्ड की बिना अधिकार के परिवर्तन कर अपीलार्थीगण को नाम हजब कर अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 05 के नाम गलत अंकन कर दिया। उक्त गलत अंकन के आधार अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस विवादित भूमि को रहन, बेचान, हस्तांतरण करने व निर्माण कार्य करने आमादा है। जिन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने व विवादित आराजी पर किसी प्रकार का

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

FORM NO III APP-A Crim

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नेनू उर्फ स्वर्गी हरजी बनाम कमरु इत्या. श्री रामा व अन्य

किस्म मुकदमा 225 RT Act नम्बर 133/2020 सन् 2020 (अजमेर)

2020/00133

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री शाहबुद्दीन खान श्री	
लगातार	निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2011(1) पेज 152, आर.आर.डी. 2015 पेज 497, आर.आर.ड़ी. 2014 पेज 45, आर.आर.टी.2004(1) पेज 667, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1084, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1398 व आर.आर.ड़ी. 2014 पेज 545 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 20.07.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 20.07.2020 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करना एक विधिक प्रक्रिया में आता है न कि आदेश। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें। **तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	